उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-8/2021/1175/94-स्टा0नि0-2-2021-700(34)/2021

लखनऊ, दिनांक 09 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के अधीन विकासकर्ता द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) हेतु निर्मित भवन के अन्तरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर रूपये पॉच सौ से अधिक के स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

2- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि पूर्वोक्त शासनादेश संख्या 3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्मित भवन के अन्तरण विलेख का निष्पादन किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः- 8/2021/1175/94-स्टा0नि0-2-2021-700(34)/2021 दिनांकः 09 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 09 नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्याः- 8/2021/1175/94-स्टा0नि0-2-2021-700(34)/2021 दिनांकः 09 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक सूचना उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), पदेन जिला निबंधक।
10- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
11- विधायी अनुभाग-1
12- भाषा अनुभाग-5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 8/2021/1175/94-S.R.-2-2021-700(34) /2021, dated- 09, November 2021.

Notification

Order

No. 8/2021/1175/94-S.R.-2-2021-700(34)/2021
Lucknow, Dated-09, November 2021.

In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of the publication of this notification, stamp duty in excess of rupees 500/- on the instrument executed by the developer in favour of beneficiary for transfer of E.W.S. house built by developer under G.O. no. 3188/eight-1-13-80 vividh / 2010 dated 05 December 2013 of Aawaas evam Shahri Niyojan Anubhag-1.

2. The remission under this notification shall be available if officer nominated by the Housing Commissioner, Uttar Pradesh, Housing and Development Board/Vice Chairman, Development Authority/C.E.O. Special Area Development Authority/ Prescribed Authority, Regulated Area, Uttar Pradesh shall sign such instrument as witness for the purpose of conforming the fact that the transfer deed of E.W.S. house built under the aforesaid G.0. no. 3188/eight-1-13-80 vividh/2010 dated 05 December 2013 is being executed.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।